प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पत्रांक–834 दिनांक–17.07.17 द्वारा पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के रिक्त शैक्षणिक पदों (रीडर, ओरल सर्जरी विभाग) पर संविदा के आधार पर चयन हेतु गठित चयन समिति की दिनांक–12.08.17 को प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एंव अस्पताल, पटना की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए–

1. डा0 डी0 के0 सिंह, प्राचार्य–सह–अध्यक्ष
2. डा0 रितेश राज, विभागाध्यक्ष, ओरल सर्जरी विभाग– सदस्य
3. डा0 (श्रीमती) रश्मि इस्सर, –महिला सदस्य
4. डा0 उदय राज –अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य

विज्ञापन सं0–पी0आर0–3968 द्वारा विज्ञापित रीडर, आरेल सर्जरी विभाग के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक–18.07.17 को वाक्–इन–इंटरव्यू आयोजित किया गया। तत्पश्चात संस्थान के बेबसाईट पर औपबंधिक पैनल का प्रकाशन किया गया था।

बैठक में औपबंधिक पैनल पर प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया । चयन समिति के समक्ष डा0 विवेक कुमार (उम्मीदवार) एवं श्री उदय कुमार, अधिवक्ता द्वारा दर्ज आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। दोनों अभ्यावदनों की समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए–

1. श्री उदय कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, एनरॉलमेंट नं0–624 / 80 ए0ओ0आर0नं0–04155 द्वारा दिये गए आभ्यावेदन पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री उदय कुमार आवेदनकर्ता नहीं हैं न ही किसी आवेदक के लिए आवेदन दिया गया है।
2. डा0 विवेक कुमार द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कंडिकावार निर्णय निम्न प्रकार लिया गया–

क्रम सं0	आपत्ति	निर्णय / निराकरण
01	डा0 अंशु प्रकाश एवं डा0 प्रियंकर सिंह को वरीयता कमांकः–1 और 2 है को मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर दंत विभाग में किए गये कार्य को शैक्षणिक अनुभव की अधिमान्यता दी गयी हैए जो की बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार है सीनियर रेजीडेंट के पद पर कार्य अनुभव प्राप्त किए अभ्यर्थीयों की विशेष ओरल सर्जरी में सीनियर लेक्चरर के पद पर 4 वर्ष की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार उन अभ्यर्थीयों की शैक्षणिक योग्यता दंत विभाग में प्रमाणित होती है। ना की विशेष ओरल सर्जरी विभाग मे।	विज्ञापन संख्या PR-3986 health 2017-18 के कडिका–............ से स्पष्ट रूप में अंकित है कि भारतीय दंत परिषद् के प्रावधानों के अनुरुप रीडर पद की अहर्ता होगी जो निम्न प्रकार है– **READER**-BDS degree of an Indian University or an equivalent qualification with Post graduate qualification/ diplomate of national board in the subject & with 4 years teaching experience after Post graduation. भारतीय दंत परिषद् के उपरोक्त वर्णित अहर्ता में कहीं भी अंकित नहीं है, कि विशेय विशेष में सीनियर लेक्चरर के पद पर चार वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना अनीवार्य है। केवल यह अंकित है कि " Four Years teaching experience after Post Graduation". स्वास्थ्य विभाग , बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–1217(17) दिनांक–10.10.2008 के अध्याय–3 कंडिका–6 में सपष्ट अंकित राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयो के सीनिर रेजिडेंटो / ट्यूटर के पद शैक्षणिक पद होंगे। इसके अतिरिक्त डी0सी0आई के एम0डी0एस कोर्स के Inspection Performa के पृष्ठ सं0–05 पर अंकित है कि Sr.Resident/Sr. Lecturer / Asst. Professor अतः भारतीय दंत परिषद् के अनुसार उपरोक्त सभी पद समकक्ष हैं। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चिकित्सा महाविद्यालयों के दंत विभाग में विभिन्न कोटी के पद डेंटीस्ट्री विभाग के होते हैं, तथा इसका शैक्षणिक अनुभव की गणना दंत महाविद्यालयों में बी0डी0एस0 कोर्स अथवा स्नातक स्तर के शिक्षण के लिए की जाती है। भारतीय दंत परिषद् के एम0डी0एस0 कोर्स रेगुलेशन–2007 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त शैक्षणिक अनुभव की गणना केवल स्नातकोत्तर / एम0डी0एस0 कोर्स हेतु नहीं की जाती है।
02	बिहार गजट(असाधारण) 13 अक्टूबर, 2008 अध्याय–4, पेज नं0.–3 कम संख्या 7(क) में वर्णित नियुक्ति पात्रताः सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को विषय विशेष में स्नाकोत्तर उपाधी एवं इसके उपरांत तीन वर्ष का सीनियर रेजिडेंट। ट्यूटर के पद पर शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अर्थात अभ्यर्थीयों की पात्रता सहायक प्राध्यापक पद की हरोती है ना की रीडर की।	उपरोक्त वर्णित निर्णय में इसकी व्याख्या समाहित है।
03	भारतीय दंत परिषद् 2007 भारत का राजपत्र के नियमानुसारः– पेज नं0 3 एवं 4 में रीडर के पद हेतु अहर्ता वर्णित है जो कि इस प्रकार हैः–	उपरोक्त कंडिका–01 के निर्णय में रीडर पद हेतु योग्यता स्पष्ट अंकित है। उठाई गई आपत्ति में Post Graduate (MDS Course Regulation-2007) का उल्लेख किया गया है। जबकि संविदा नियुक्ति बी0डी0एस0

	Qualification for Processor & Head of the Department of the Post-Graduate department- **Reader-**A B.D.S degree of an Indian University or an equivalent qualification with Post Graduate qualification/ Diploma of National Board in the "Subject" and with 4 years teaching Experience after Post-graduation. अर्थात विषय विशेष में स्नाकोत्तर के साथ 4 वर्ष की शैक्षणिक योग्यता संबंधीत विभाग में सीनियर लेक्चरर के पद पर पूरी होनी चाहिए।	कोर्स के लिए हो रही है। बी0डी0एस0 कोर्स रेगुलेशन–2007 में कहीं भी सीनियर लेक्चरर का पद अंकित नहीं है। न ही 4 वर्ष के सीनियर लेक्चरर के रूप में शैक्षणिक अनुभव का उल्लेख है।
04	स्माचार पत्र में प्रकाशित सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– P.R-3986 health 2017-18 के अनुसार पद का नाम –रीडर, रिक्तियों–01 अनारक्षित कोटि एवं विभाग–ओरल सर्जरी वर्णित है।	यह कोई आपत्ति नहीं है।
05	डा0 अमित कुमार जिनका वरीयता कमांक–4 है, वो आरक्षित कोटि EBC/OBC के अन्तर्गत आते हैं तथा वे पटना दंत महाविद्यालय में कोटि के अंतर्गत लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। अतः अमित कुमार की अहर्ता भी पूर्ण नहीं होती है।	किसी भी कोटि के उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर दावा पेश करने का मौलिक अधिकार है तथा डी0सी0आई0 के बी00डी0एस0 कोर्स रेगुलेशन–2007 के अनुसारः डा0 अमित कुमार की अहर्ता पूर्ण है।
06	विवेक कुमार जिनका वरीयता कमांक–4 है वो साधारण कोटि से 4 साल सीनियर लेक्चरर के पश्चात् 3 वर्षों से रीडर के पद पर ओरल सर्जरी विभाग, डा0 बी0आर0 अंबेडकर इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइन्सेज एंड हॉस्पिटल, पटना में कार्यरत हैं।	डी0सी0आई0 के बी0डी0एस0 कोर्स रेगेलेशन के अनुसार सीनियर लेक्चरर पद नहीं है।

इस प्रकार डा0 विवेक कुमार द्वारा दर्ज आपत्तियों को चयन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत तथ्यहीन एवं अमान्य पाया गया।

रीडर, आरेल सर्जरी विभाग के पद हेतु प्रकाशित औपबंधिक पैनल पर प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करते हुए स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.01.2017 के कंडिका–4(v)(घ) एवं 4(vi) के आलोक में समिति द्वारा विज्ञापन सं0–पी0आर0–3968(स्वा0)/17–18 में विज्ञापित रीडर, ओरल सर्जरी विभाग के रिक्त एकल पदों पर औपबंधिक पैनल से संविदा के आधार पर चयन करने की निम्नरूपेण अनुशंसा की जाती है–

कम सं0	पद का नाम	नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार की आरक्षण कोटि	पद की आरक्षण कोटि	औपबंधिक पैनल में मेधा कमांक	अभ्युक्ति
1.	रीडर, ओरल सर्जरी विभाग	डा0 अंशु प्रकाश	सामान्य	अनारक्षित (एकल पद)	01 एकल आवेदक	

उपरोक्त उम्मीदवार के नियुक्ति की अनुशंसा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.01.2017 में वर्णित शर्तों के आलोक में की जा रही है। उपरोक्त एकल पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा स्वास्थ्य विभागीय संचिका सं0–17/डी0–1–10/12 के टिप्पण पृष्ठ सं0–03 पर वर्णित परामर्श/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय के आलोक में अनारक्षित श्रेणी को अनुमान्य है। उपरोक्त उम्मीदवार के औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर इस शर्त के साथ चयन की अनुशंसा की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग से इन पदों के आरक्षण कोटि अथवा अन्य किसी बिन्दु पर अन्यथा मंतव्य प्राप्त होता है तो योगदान की तिथि से ही इनकी सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा उक्त अवधि हेतु प्राप्त मानदेय की राशि इन्हें एकमुश्त वापस करनी होगी। इस आशय का वचनबंध (Undertaking) योगदान के समय समर्पित करना आवश्यक होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति एक वर्ष या इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिए अनुमान्य होगी।

(डा0 उदय राज) अनु0 जाति/जनजाति सदस्य	**(डा0 रश्मि इस्सर)** महिला सदस्य	**(डा0 रितेश राज)** सदस्य

(डा0 डी0 के0 सिंह)
प्राचार्य–सह–अध्यक्ष